राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2488/2024

सुरेन्द्र कुमार बलाई

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2024
आदेश की दिनांक : 16.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, अलवर से निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापक दल, अलवर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, अलवर में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय व सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के दो पद स्वीकृत है। अपीलार्थी एक मात्र लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर उक्त कार्यालय में पदस्थापित है। इससे स्पष्ट है कि एक पद पूर्व से ही उक्त कार्यालय में रिक्त है तथा अपीलार्थी के स्थानान्तरण से कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, गोविन्दगढ, अलवर में दोनों पद रिक्त हो जाएंगें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक

20.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पद पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.09.2023 को कार्य ग्रहण किया। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है, जबकि स्थानान्तरण नीति के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व नहीं किया जाना चाहिए था।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का प्रथम तर्क कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, अलवर में सहायक लेखा अधिकारी का पद रिक्त हो जाएगा। इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मत हैं कि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे एक विशिष्ट स्थान पर कार्यरत रखा जाए। किसी पद को रिक्त रखना नियोक्ता द्वारा उसके विवेक से लिया गया निर्णय है, जो एक प्रशासनिक निर्णय है। जिस पर इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प अवधि में ही किया गया है। इस तथ्य पर विचार किया गया। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 21.09.2023 से कार्यरत है। वर्तमान पद पर अपीलार्थी को कार्यरत रहते हुए 10 माह से अधिक का समय हो चुका है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प अवधि में किया गया है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अलवर जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of*

executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)